न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 95/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी –शाखा प्रबन्धक, आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमि. अग्रसेन सर्किल, सी स्कीम जयपुर	**बनाम**	1. रघुनन्दन पुत्र मुकुन्द मुरारी वैष्णव पता – मकान नम्बर क्यू – 82, आजाद नगर, रेयान स्कूल भीलवाडा 2. श्रीमती खुशबु वैष्णव पत्नी रघुनन्दन वैष्णव पता – मकान नम्बर क्यू – 82, आजाद नगर, रेयान स्कूल भीलवाडा
–– **प्रार्थी**		––**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी–श्री जंगशेर खान

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 01.07.2021

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमि. अग्रसेन सर्किल, सी स्कीम जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 23,55,919/– रुपये का ऋण दिनांक 12.03.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो चल/अचल सम्पति – मकान नम्बर क्यू – 82, आजाद नगर, रेयान स्कूल भीलवाडा हैं, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 10.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 25,04,134/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 06.03.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

...क्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा